

न्यायालय :- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, मधेपुरा।

बी० पी० नं० :-377 / 2026

उत्पन्न शंकरपुर थाना कांड संख्या:-14 / 2026

1. रौशन कुमार, उम्र लगभग 18 वर्ष, पिता-दिनेश राम
सा०-रायभीड़, वार्ड नं० 07, थाना-शंकरपुर, जिला-मधेपुरा

-आवेदक/अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार

विपक्षी

जमानत आदेश

15-06-2026

दिनांक-21.01.2026 से काराधीन आवेदक अभियुक्त 1. रौशन कुमार व का नियमित जमानत आवेदन जो शंकरपुर थाना कांड संख्या:-14 / 2026 अन्तर्गत धारा- 309(4) वि०एन०एस० से संबंधित है तथा विद्वान अपर मुख्य न्या० दण्डा०- प्रथम, मधेपुरा के न्यायालय द्वारा आवेदक की जमानत याचिका दि०-13.03.26 को खारिज करने के पश्चात् आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कृत्य नारायण यादव द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है जिन्होंने ऐसा कोई घटना कारित नहीं किया जैसा प्राथमिकी में उनके विरुद्ध लगाया गया है। आवेदक को स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर प्रस्तुत मामले में फंसाया गया है। आवेदक का आरोप पत्र समर्पित हो चुका है। आवेदक अभियुक्त के पास से जो रूपया बरामद हुआ है वह आवेदक अभियुक्त का है, जो खाद खरीदने के लिये रखा था। आवेदक दिनांक 21.01.26 को न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक चल एवं अचल सम्पत्ति वाले हैं जो फरार होने अथवा साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है और न्यायालय के सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 21.01.2026 को करीब 08 बजे सुबह में बकरी खरीदने के लिए शंकरपुर थाना अंतर्गत ग्राम रायभीड़ छपरिया टोला में फुलो सिंह के घर के पास क बकरी वाले की बकरी खरीदने की बात हुई लेकिन वहां दाम नहीं पटा तो आगे बढ़कर नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन से करीब 300 मीटर आगे बड़े तो पीछे से एक उजला रंग का हीरो एक्सट्रीम मोटरसाइकिल पर जिसके बंपर में लाल काला रंग का रस्सी बंधा था और उसपर सवार लड़का दुबला पतला रंग गोरा था। ओवरटेक कर रोक लिया और दूसरा काला ब्लू रंग का पल्सर मोटरसाइकिल सवार लड़का सावला एवं छोटा कद साल पहने अपना गाड़ी को सटा दिया और दोनों उतरकर पल्सर वाला लड़का कमर से देशी कट्टा निकालकर मेरे गर्दन पर सटा दिया और एक्सट्रीम मोटरसाइकिल वाला लड़का गली देते हुए मारने की बात बोलकर सूचक के पोकट से 30,000 रूपया निकाल लिया और मेरा कथक रंग का पर्स जिसमें कुछ खुदरा पैसे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र था वो भी ले लिया। जब सूचक विरोध करने लगा तो एक्सट्रीम मोटरसाइकिल वाला लड़का फोन करके और दो लड़का को बुला लिया जो काला रंग का स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आया था और मुह पर कपड़ा बांधे हुआ था। दोनों का उम्र करीब 18 से 23 वर्ष के बीच का था लप्पड़-थप्पड़ से सूचक को मारने लगा।

-लगातर



न्यायालय :- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, मधेपुरा।

बी० पी० नं० :-377 /2026

उत्पन्न शंकरपुर थाना कांड संख्या:-14 /2026

-2-

लगातार

15-06-26

— जब सूचक उसके पैर पर गिरकर रोने लगा तो पल्सर वाला लड़का बोला कि सोनुआ इसको सौ-दो सौ रूपया दे दो तेल डला लेगा। उसके बाद एक्सट्रीम मोटरसाइकिल वाला लड़का सूचक को 100 रूपया वापस दिया और बोला कि पीछे मत आना और किसी को बोला तो अगले बार पैसा लूटने के साथ साथ गोली भी मार देंगे। घटना के क्रम में अपराधी स्थानीय भाषा का प्रयोग कर सोनु और संजय एक दूसरे का नाम ले रहे थे। घटना के सभी पंचायत सरकार भवन के रास्ते वापस लौट गया। उसके बाद 112 पर फोन कर घटना के बारे में जानकारी दिये तथा थाना पहुंचकर आवेदन दिया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा-309(4) वी०एन०एस० के अंतर्गत दर्ज की गई है। आवेदक के विरुद्ध हथियार का भय दिखाकर अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के पॉकेट से तीस हजार रूपया व पर्स जिसमें आधार कार्ड तथा अन्य कागजात थे, छीन लेने का अभियोग है।

कांड दैनिकी के पारा-02, में वादी का बयान है जिसमें घटना का समर्थन किया गया है तथा पारा-79 में सह-अभियुक्त सोनु कुमार का स्वीकारोक्ति बयान है जिसमें आवेदक की संलिप्तता भी बताई गई है। पारा-29 में आवेदक का स्वीकारोक्ति बयान है जिसमें इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

परंतु उपरोक्त तथ्यों के बावजूद आवेदक प्राथमिकी नामजद अभियुक्त नहीं हैं बल्कि केवल स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आवेदक का नाम सामने आया है। आवेदक दिनांक 21.01.26 से न्यायिक अभिरक्षा में है। कोई टी० आई० परेड नहीं हुआ है। आवेदक के विरुद्ध आरोप गठन भी किया जा चुका है तथा आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त द्वारा मो० 10,000/-रु० के दो जमानतदारों द्वारा जमानत बंध-पत्र दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि आवेदक वाद के सम्पूर्ण विचारण के दौरान आवेदक अपनी उचित पैरवी करते रहेंगे।



लेखापित

Satish Kumar
15.06.26

(सतीश कुमार)

अपर सत्र न्या०-2, मधेपुरा।